संख्या : [34 प्र०जि०] /18(1)/2006

प्रेषक,

एन०एस०नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

राजस्व विभाग देहरादून : दिनांक : 8 दिसम्बर, 2006

विषयः मै० पेरिस डकनर बायोटेक प्रा०लि० को फार्मास्यूटिकल उद्योग की स्थापना हेतु तहसील रूड़की के ग्राम गदरजुडड़ा में कुल 0.1749 है० भूमि कय करने की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1142/भूमि व्यवस्था–भू०क० दिनांक 10 अक्टूबर, 2006 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय मै० पेरिस डकनर बायोटेक प्रा०लि० को फार्मास्यूटिकल उद्योग की स्थापना हेतु उत्तरांचल (उ०प्र० जमींदारी विनाश एंव भूमि व्यवस्था अधिनियम,1950) (अनुकूलन एंव उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 दिनांक 15–1–2004 की धारा–154(4)(3)(क)(V) के अन्तर्गत तहसील रूड़की के ग्राम गदरजुडड़ा में कुल 0.1749 है० भूमि कय करने की अनुमति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैं :–

1– केता धारा–129–ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलैक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि कय करने के लिये अर्ह होगा।

2– केता बैंक या वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिये अपनी भूमि बन्धक या दृष्टि बन्धित कर सकेगा तथा धारा–129 के अन्तर्गत भूमिधरी अधिकारों से प्राप्त होने वाले अन्य लाभों को भी ग्रहण कर सकेगा।

3– केता द्वारा कय की गई भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विकय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन के लिये करेगा जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गई है। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु करता है अथवा जिस प्रयोजनार्थ कय किया गया था उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विकय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा–167 के परिणाम लागू होंगे।

.......(2)

4- जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि क्रय से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।

5- जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।

6- स्पॉट जोनिंग क्षेत्र के लिये निर्धारित सिद्धान्तों/नीतियों का पूर्णतः पालन किया जायेगा।

7- क्रय की जाने वाली भूमि का भू-उपयोग, यदि औद्योगिक से भिन्न हो, तो उसे नियमानुसार औद्योगिक में परिवर्तित कराकर शासन द्वारा निर्धारित नीति/मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अन्तर्गत प्रचलित नियमों/मानकों एवं भवन उपविधियों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही करते हुए औद्योगिक प्रयोजन हेतु भवन निर्माण का प्लान सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत कराने के पश्चात् ही स्थल पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

8- स्थापित किये जाने वाले उद्योग में उत्तरांचल मूल के बेरोजगारों को न्यूनतम 70 प्रतिशत से अधिक का रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा।

9- इकाई द्वारा क्रय की जाने वाली भूमि का उपयोग फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन उद्योग की स्थापना हेतु किया जायेगा।

10- उपरोक्त शर्तों/प्रतिबन्धों का उल्लंघन होने पर अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

2- तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एन0एस0नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तरांचल, देहरादून।
2- सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तरांचल शासन।
3- सचिव, श्रम विभाग, उत्तरांचल शासन।
3- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4- श्री एस0 मोहन सुन्दरम, मैनेजिंग डायरेक्टर, मै0 पेरिस डकनर बायोटेक प्रा0लि0, निवासी- 24 ग्रामीण गली, सेलन्दूर, चेन्नई- 16
5- निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तरांचल।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुनील सिंह)
अनु सचिव।